

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्व का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, शुक्रवार 20 अगस्त 2021

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए

वर्ष-03, अंक- 320

महत्वपूर्ण एवं खास



मुहर्रम के जुलूस को रोकने के लिए श्रीनगर के इलाके में प्रतिबंध लागू

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के अजी गुजर इलाके में शिया समुदाय के सदस्यों को अशुभ के मौके पर पारंपरिक जुलूस निकाले जाने से रोकने के लिए अधिकारियों ने गुरुवार को प्रतिबंध लगाए। यह मुहर्रम के 10 दिन के शोक का अंतिम दिन है। अधिकारियों ने बताया कि कोठीबाग थाना क्षेत्र के भीतर आने वाले अजी गुजर इलाके में प्रतिबंध लगाए गए हैं और मुहर्रम के 10वें दिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। पुलिस ने मंगलवार को शहर के अलग-अलग स्थानों पर शिया समुदाय के कई लोगों को हिरासत में लिया क्योंकि वे जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे। पारंपरिक मुहर्रम जुलूस अजी गुजर, लाल चौक और डलंगेट इलाकों से गुजरता था लेकिन 90 के दशक में आतंकवाद के उभार के बाद इसे प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि प्रशासन का कहना है कि इसका इस्तेमाल अलगाववादी राजनीति के प्रचार के लिए किया जाता था।

जम्मू-कश्मीर में भूकंप के हल्के झटके, कोई हताहत नहीं

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को हल्की तीव्रता का भूकंप आया, हालांकि कहीं से किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है। आपदा प्रबंधन कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में गुरुवार सुबह 5.08 बजे रिक्टर पैमाने पर 3.6 तीव्रता का हल्का भूकंप आया। भूकंप 32.7 डिग्री उत्तर अक्षांश और 75.4 डिग्री पूर्व देशांतर पर दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र जम्मू-कश्मीर के उजमपुर क्षेत्र में है। अभी तक कहीं से किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है।

दिल्ली सरकार की 1000 बसों की खरीद की होगी सीबीआई जांच

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की सीबीआई जांच की सिफारिश की

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो स्पीड बसों की खरीद की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से प्राथमिक जांच कराने की सिफारिश की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा की गयी इन बसों की खरीद के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) में 'भ्रष्टाचार' का मामला इस साल मार्च में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने एएमसी में प्रक्रियागत 'खामियां' पायी थीं और उसने उसे निरस्त करने की सिफारिश की थी। अधिकारियों ने बताया कि जुलाई में उपराज्यपाल ने इस मामले को विचारार्थ गृह मंत्रालय के पास भेज दिया था।

राजौरी में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर

सेना के जेसीओ भी हुए शहीद

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के थानामंडी इलाके में गुरुवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आतंकी मार गिराया गया। हालांकि इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के जेसीओ भी शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक, वन क्षेत्र में 3 से 4 आतंकी मौजूद हैं और आतंकियों की हर एक गोली का सुरक्षाबल मुहताब दे रहा है। सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी में गुरुवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने थानामंडी



इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था। अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान तब मुठभेड़ में बदल गया, जब आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां दागनी शुरू कर दीं। उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों ने आतंकियों को मुहताब दे दिया है। इसी इलाके में छह अगस्त को पुलिस ने दो आतंकियों को मार गिराया था। राजौरी में 6 अगस्त को सुरक्षाबलों

के काफिले पर गोलीबारी के बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी सहित तीन लोग घायल हो गए थे। अधिकारियों ने बताया था कि बीएसएफ के काफिले पर जिस समय हमला हुआ था उस वक वह काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। उन्होंने बताया था कि आतंकवादियों ने कुलगाम जिले में काजीगुंड क्षेत्र के मालपोरा में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीएसएफ के काफिले पर गोलीबारी की थी। इससे पहले, 3 अगस्त को जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के चंदाजी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर सामने आई थी। कश्मीर जोन पुलिस और सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था।

रिम्स में भर्ती मरीज के साथ वार्ड के बाथरूम में दुष्कर्म का प्रयास

रांची (आरएनएस)। रिम्स के ईएनटी वार्ड में भर्ती एक युवती के साथ बाथरूम में दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। युवती डा. सीके बिरुआ के वार्ड में भर्ती है। युवती ने आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे लैब टेक्नीशियन फरिजल शेख पर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया है। युवती के अनुसार वह वार्ड में अकेली थी। आरोपित ने उसे बुलाया धर, बरियतू थाना के रिम्स इंचार्ज मारुत नंदन के अनुसार कुछ दिन पहले भी आरोपित ने युवती के साथ छेड़छाड़ की थी। जब युवती इलाज के लिए रिम्स आई थी तो आरोपित फरिजल शेख ने उसका पीछा किया और छेड़छाड़ी की थी। वार्ड में अकेली थी। आरोपित ने उसे बुलाया। बाथरूम में खींच ले गया और दरवाजा बंद कर दिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना बुधवार की रात नौ बजे की है। युवती के शोर मचाने पर उसके

साथ रह रही उसकी बहन-बहनोई बाथरूम की ओर दौड़े तो आरोपित भाग निकला। उसके बाद युवती को वार्ड में ले जाया गया। उसकी बहन जैप-10 में पोस्टेड है। इस संबंध में युवती के बयान पर बरियतू थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपित को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के अनुसार जिस समय घटना हुई, युवती अकेली थी। आरोपित ने युवती को अकेला पाकर उसे बाथरूम ले गया जहां उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। जानकारी के अनुसार आरोपित फरिजल शेख कोरोना के समय से ही खेलगांव स्थित आइसोलेशन वार्ड में कार्य कर रहा था। बाद में उसे रिम्स में समय-समय पर मदद के लिए बुलाया जाता था। बुलाए जाने पर वह रिम्स में आकर ड्यूटी करता था। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी।

तालिबान संकट ने भारत के लिए बढ़ाई चुनौतियां: राजनाथ

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने देश में मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की आवश्यकता पर जोर देते हुए गुरुवार को कहा कि दुनिया में बदलते भूराजनीतिक हालात की वजह से भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ गई हैं और जटिल हो गई हैं। रक्षामंत्री ने ये बातें ऐसे समय पर कही हैं जब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत सहित कई देशों में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। तालिबान या अफगान संकट का जिक्र किए बिना रक्षा मंत्री ने

कहा, आज पूरी दुनिया में सुरक्षा के हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस वजह से, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रही हैं और जटिल हो रही हैं। वैश्विक भूराजनीतिक हालात में लगातार बदलाव आते रहते हैं। वह डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। रक्षामंत्री ने कहा कि सुरक्षा चुनौतियों में तेजी से बदलाव को ध्यान में रखते हुए भारत को मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग पर फोकस करना होगा ताकि सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा



सके। उन्होंने आगे कहा, यह आवश्यक है कि हम ना केवल मजबूत, आधुनिक और अच्छी तरह से सुसज्जित बल तैयार करें, बल्कि अपना रक्षा उद्योग भी विकसित करना होगा, जो मजबूत, सक्षम और सबसे बढ़कर पूरी तरह आत्मनिर्भर हो। रक्षामंत्री ने इस

केवल विवाह के आधार पर एफआईआर नहीं की जा सकती

धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

अहमदाबाद (आरएनएस)। गुजरात हाई कोर्ट ने विवाह के लिए होने वाले धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 में राज्य में दूसरे धर्म में विवाह के लिए धर्मांतरण पर प्रतिबंध है, लेकिन कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। आज सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने विवाह के माध्यम से धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर



सुनवाई कर रही थी। राज्य सरकार के कानून के मुताबिक धोखाधड़ी से या जबरन धर्म बदलवाने पर दंड का प्रावधान है। गुजरात में 'लव जिहाद' को लेकर बने कानून पर हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने साफ किया है कि केवल शादी के आधार पर ही मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने इस दौरान गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम की कुछ धाराओं में हुए संशोधनों को लागू करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। हाल ही में उच्च न्यायालय ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम से जुड़ी एक याचिका में सुनवाई के बाद राज्य सरकार

को नोटिस भेजा था। गुरुवार को गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि अंतर-धार्मिक विवाह के मामले में केवल शादी को ही एफआईआर का आधार नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि बगैर यह साबित हुए कि शादी जोर-जबरदस्ती से हुई है या लालच से हुई है, पुलिस में

एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। कोर्ट की तरफ से अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 के संशोधनों को लागू करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि मंगलवार को मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के सामने राज्य सरकार ने अपने धर्मांतरण विरोधी कानून का बचाव भी किया था। सरकार ने दावा किया था कि कानून सिर्फ शादी के लिए धर्मांतरण से संबंधित है। यह कानून दूसरे धर्मों में विवाह करने से नहीं रोकता है। सिर्फ गैर कानूनमुरी धर्मांतरण के खिलाफ है। हाई कोर्ट द्वारा उठाई गई आशंकाओं को दूर करते हुए सरकार के वकील ने कहा कि कानून में कई सुरक्षा क्लॉक हैं।

दस दिनों में शुरू हो सकती है कोर्ट रूम सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने संकेत दिया कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में फिर से कोर्ट रूम सुनवाई शुरू हो सकती है। एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से कहा, हम एक सप्ताह या 10 दिनों के बाद फिजिकल सुनवाई कर सकते हैं। चीफ जस्टिस रमण ने ट्राई टैरिफ से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान वर्चुअल सुनवाई के दौरान आने वाली कुछ समस्याओं को साझा किया। चीफ जस्टिस ने कहा, सुनवाई से पहले मुझे कुछ बातें कहनी हैं। हमने देखा है कि वकील एक साथ विभिन्न अदालतों में बहस कर रहे हैं। कृपया एक अदालत में ध्यान दें। इसके अलावा अच्छी गुणवत्ता वाले वाईफाई और डिवाइस का उपयोग करें। आप पहली अदालत के सामने पेश हो रहे हैं और आप महत्वपूर्ण बहस कर रहे हैं। कभी-कभी हम आपको देख या सुन नहीं पाते हैं। हम एक सप्ताह या 10 दिनों के बाद कोर्ट रूम सुनवाई कर सकते हैं। सनद रहे कि कोविड-19 की वजह से मार्च, 2020 से सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हो रही है।

देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना का बढ़ा ग्राफ अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड टीके लगाये गये

देश पिछले 24 घंटे में 35,178 नए मामले, 440 लोगों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में पिछले दो दिन से लगातार कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना वायरस के बड़े प्रकोप के साथ संक्रमण के 36,401 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि 530 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सक्रीय मरीजों के मामले में राहत देखी गई है, जो पिछले 149 दिनों



बाद सबसे निचले स्तर पर है। यानि अब देश में कोरोना के 3 लाख 64 हजार 129 इलाजगत मरीज ही रह गए हैं। वहीं पिछले एक दिन में कोरोना के 39 हजार 157 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना से ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 3 करोड़ 15 लाख 25

नई दिल्ली (आरएनएस)। पिछले 24 घंटों में 56,36,336 खुराकें लगाने के साथ कोविड-19 टीकाकरण कवरेज कल 56.64 करोड़ के पड़ाव के पार पहुंच गया। यह लक्ष्य 63,13,210 सत्र के जरिए प्राप्त किया गया। रिपोर्ट के अनुसार सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है। महामारी की शुरुआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से 3,15,25,080. लोग कोविड-19 से पहले ही उबर चुके हैं, और पिछले 24



घंटों में 39,157 मरीज स्वस्थ हुये हैं। भारत में रिकवरी दर 97.53 प्रतिशत है। यह मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है। भारत में पिछले 24 घंटों में कुल 36,401 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये। लगातार 53 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है। भारत में सक्रीय मामलों की संख्या 3,64,129 दर्ज की गई है, जो 149 दिनों में सबसे कम है। सक्रीय मामलों

देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 18,73,757 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 50.03 करोड़ से अधिक जांचें की गई हैं। एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 1.95 प्रतिशत है, जो पिछले 55 दिनों में तीन प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर भी 1.94 प्रतिशत रही, जो पिछले 23 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे और 72 दिनों से लगातार पांच प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।